टिप्पणी

धारा 7 की उपधारा (5) के परन्तुक के अधीन अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि धारा 7 की उपधारा (1) एवं (5) के अधीन निर्धारित शुल्क उपयुक्त होगा तथा उपयुक्त सरकार द्वारा नियत की गई गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों से ऐसा शुल्क नहीं वसूला जाएगा। सरकार ने धारा 7 की उपधारा (1) तथा (5) के अधीन उपयुक्त समझा गया शुल्क पहले ही निर्धारित कर दिया गया है। आयोग के अनुसार अधिनियम की धारा 7 (1) एवं 7(5) के अधीन निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी और शुल्क का कोई उपबन्ध नहीं है। **(के.के. किशोर विरुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरिज ऑफ इण्डिया, अपील संख्या सी.आई.सी./एम.ए./ए/2008/0185)**

***8. सूचना के प्रकट किए जाने से छूट-** (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी-

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो;

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है, या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है;

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान मण्डल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा;

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर-व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(ङ) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;

(छ) सूचना, जिसका प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्त्रोत की पहचान करेगा;

(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी;

(झ) मंत्रिमण्डल के कागज-पत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं :

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे :

* C.G.A.D.P.O.-2008; M.P.A.D.P.O.-2008, 2009, 2010.

अनुभाग अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

परन्तु यह और कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अन्तर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएँगे;

(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रिया-कलाप या हित से सम्बन्ध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है :

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद् या किसी राज्य विधान मण्डल को देने से इन्कार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इन्कार नहीं किया जा सकेगा।

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुँच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ग) और खण्ड (झ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना, वृत्तान्त या विषय से सम्बन्धित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी :

परन्तु यह कि जहाँ उस तारीख के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहाँ इस अधिनियम में उसके लिए उपबन्धित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

टिप्पणी

वैयक्तिक जानकारी का प्रकटीकरण से छूट-अर्जीदार यह दर्शित करने में असमर्थ था कि इच्छित जानकारी का सार्वजनिक क्रियाकलाप अथवा हित से कोई सम्बन्ध है। इसके अभाव में जानकारी माँगने हेतु आवेदनों को अस्वीकृत करने वाल आक्षेपित आदेशों में कोई त्रुटि नहीं। **(नरेन्द्र कुमार गुप्ता विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया, 2014 (4) एम.पी.एल.जे. 587)**

9. कतिपय मामलों में पहुँच के लिए अस्वीकृति के आधार- धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहाँ अस्वीकार कर सकेगा जहाँ पहुँच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अन्तर्विलित होगा।

10. पृथक्करणीयता- (1) जहाँ सूचना तक पहुँच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के सम्बन्ध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहाँ इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पहुँच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से, जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक की जा सकती है।

Scanned with CamScanner